भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या :4965
दिनांक 25 मार्च, 2021/4 चैत्र, 1943 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों पर चेहरा पहचान प्रणाली

4965. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विमानपत्तनों पर चेहरा पहचान प्रणाली जैसी पद्धति कार्यान्वित करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;
(ग) देश के उन विमानपत्तनों के नाम क्या हैं जहां ऐसी प्रणाली स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;
(घ) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कोई समय-सीमा तय की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ.) क्या सरकार की भावी सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर अन्य विभिन्न पहलुओं के संबंध में कोई कार्य-योजना है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ): जी हां, चेहरा पहचान प्रणाली (फेसियल रिकग्निशन सिस्टम), सरकार की डिजी यात्रा पहल का एक हिस्सा है। डिजी यात्रा का उद्देश्य, यात्रियों को निर्बाध और सुगम यात्रा प्रदान करना है। डिजी यात्रा को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना प्रायोगिक चरण में है तथा 2021 के अंत तक कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाड़ा, बैंगलौर तथा हैदराबाद हवाई अड्डों पर इसके प्रथम चरण के कार्यान्वयन की योजना है।

(ङ) एवं (च): सुरक्षा की आवश्यकता, बदलते स्वरूप की है। देशभर में नागर विमानन सुरक्षा का नियामक प्राधिकरण, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), अन्य संबंधित एजेन्सियों तथा हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर के, समय-समय पर हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करता है तथा आवश्यकतानुसार इन्हें अपग्रेड करता है।

****